भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/31/2015 दिनांक : 7 मई, 2015

प्रेस नोट

विषय : **विधान सभा के सदस्यों द्वारा तीन सदस्यों की नियमित रिक्तियों को भरने के लिए आंध्र प्रदेश विधान परिषद का निर्वाचन तथा विधान सभा के सदस्यों द्वारा आंध्र प्रदेश विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन।**

राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन से भरे जाने हेतु आंध्र प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की तीन अतिरिक्त सीटों को, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना, दिनांक 29.04.2015 के साथ पठित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2015, दिनांक 30.03.2015 के उपबंधों के अधीन प्रदान किया गया है। अतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15क के साथ पठित धारा 16 तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन विधान सभा के सदस्यों द्वारा उक्त तीन नियमित रिक्तियों को भरने के लिए आंध्र प्रदेश विधान परिषद का निर्वाचन आयोजित किया जाना अपेक्षित है।

2. तदनुसार, आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपर्युक्त तीन रिक्तियों को भरने के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा आंध्र प्रदेश विधान परिषद का निर्वाचन कराए जाने का निर्णय लिया है :-

क्रम सं.	**कार्यक्रम का विषय**	**तिथियां एवं दिन**
1.	अधिसूचना जारी करना	14 मई, 2015 (गुरूवार)
2.	नामांकन भरने की अन्तिम तारीख	21 मई, 2015 (गुरुवार)
3.	नामांकन की संवीक्षा	22 मई, 2015 (शुक्रवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख	25 मई, 2015 (सोमवार)
5.	मतदान की तारीख	1 जून, 2015 (सोमवार)
6.	मतदान का समय	प्रात: 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
7.	मतगणना	1 जून, 2015 (सोमवार) सायं 5.00 बजे
8.	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	3 जून, 2015 (बुधवार)

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 19 जनवरी, 2015 को श्री पालडुगू वैंकट राव, जिनका कार्यकाल 29 मार्च, 2017 तक है, की मृत्यु हो जाने के कारण विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित आंध्र प्रदेश राज्य विधान परिषद में एक अकस्मिक रिक्ति हुई है।

4. आयोग ने उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार, ऊपर उल्लिखित आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए भी विधान सभा सदस्यों द्वारा आंध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए उप-निर्वाचन कराए जाने का भी निर्णय लिया है।

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक